POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 29.10.2025

1.थाना फेस-2 पुलिस द्वारा कम्पनी के अन्दर घुसकर कापर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- **दिनांक 29.10.2025** को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से कम्पनी के अन्दर घुसकर कापर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1.मुकेश पुत्र जगदीश 2.चन्द्रशेखर पुत्र केदार मुखिया को एन.एस.ई.जेड मेट्रो स्टेशन के पास पुस्ता रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गये माल(कापर) को बेचकर शेष बचे 2200 रूपये नगद बरामद किये गये है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जो थाना फेस-2 क्षेत्र में स्थित कम्पनी नियो क्राफ्ट ग्लोवल प्रा0लि0 में प्लम्बर का काम करने के बहाने मौका पाकर कीमती कापर के सामान को चोरी करके ले जाते थे तथा कम्पनी से चोरी किये गये कीमती कापर को बेचकर अवैध लाभ कमाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. मुकेश पुत्र जगदीश मूल निवासी ग्राम रानीपुर, थाना अहरवा कटरा, जिला औरेय्या वर्तमान निवासी ग्राम भंगेल कुन्डा कॉलोनी, थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 28 वर्ष शिक्षा कक्षा-9 वी।
2. चन्द्रशेखर पुत्र केदार मुखिया मूल निवासी ग्राम अंनटौर, थाना बैनीपुर जिला दरबंगा बिहार वर्तमान निवासी ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर उम्र 27 वर्ष शिक्षा कक्षा-8 वी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 533/2025 धारा 306, 317(2) बीएनएस थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी गये माल(कापर) को बेचकर शेष बचे 2200 रूपये नगद

2.थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा 01 वांछित मोबाइल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- **दिनांक 29.10.2025** को थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से करीब 02 वर्ष से मु0अ0सं0 54/2024 धारा 457/380/411 भादवि में वांछित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र लौरिक राय को सेक्टर-14ए पुल के नीचे से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 03 चोरी के मोबाइल फोन व 01 अवैध तमंचा .312 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में अपने सह अभियुक्तगण के साथ

मिलकर हरौला मार्किट, सेक्टर-5 नोएडा मे एक मोबाइल फोन की दुकान के शटर के ताले को काटकर चोरी की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में फेस-1 पर मु0अ0सं0 54/2024 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह अपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मार्किट में मोबाइल फोन की बडी दुकान की रैकी करके उक्त दुकान से मोबाइल फोन चोरी करके नेपाल मे बेच देता है। अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्त इरफान पुत्र मौ हारून व सुनील पुत्र धर्मेन्द्र पाल के साथ मिलकर माह फरवरी 2024 में ग्राम हरौला की मार्किट से एक दुकान के शटर का ताला काटकर मोबाइल फोन चोरी किये गये थे। इनके द्वारा सभी मोबाइल फोन नेपाल में जाकर अलग-अलग लोगो को बेच दिये गये थे, जिसमे इन्हे 2 लाख रूपये प्राप्त हुए थे। इनके द्वारा सभी रूपये खर्च कर दिये गये है। अभियुक्त के 02 साथियों इरफान व सुनील को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अनिल कुमार पुत्र लौरिक राय निवासी कस्बा व थाना घोड़ासन, जिला पूर्वी चम्पारण (बिहार) वर्तमान पता डीएलएफ फेज-3, नाथूपुर गाँव, गुरुग्राम हरियाणा उम्र 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 456/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 54/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 03 चोरी के मोबाइल फोन
2. 01 अवैध तमंचा .312 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस